कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 29.07.2026

🔷 थाना अलीगर पुलिस टीम द्वारा अवैध मादक पदार्थ एवं नशीली दवाओं की तस्करी के मुकदमे में वांछित 25,000 रुपए के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

🔷 अभियुक्त के कब्जें से 80 लीटर अवैध कोडिन कफ सिरप बरामद

घटना-

दिनांक-22.07.2026 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा रिंग रोड स्थित कोरी अंडरपास के पास एक संदिग्ध लावारिस ट्रक (वाहन संख्या UP74Y4726) को कब्जे में लेकर तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान ट्रक में मुर्गी के दाने के नीचे छिपाकर रखी गई 72 पेटियों में कुल 7,200 शीशी (720 लीटर) अवैध कोडिन कफ सिरप एवं एस्कफ सिरप बरामद किया गया था। इस बरामदगी के आधार पर थाना अलीनगर पर मु0अ0सं0 0458/2026 धारा8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं 18A/28/18C/27B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियुक्त दयाशंकर का नाम प्रकाश में आया, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया था।

कार्यवाही-

चन्दौली- उच्चाधिकारीगण के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक, गगन राज सिह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 28.07.2026 को थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 0458/2026 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं 18A/28/18C/27B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 से संबंधित 25,000 रुपए के इनामिया वांछित अभियुक्त दयाशंकर पुत्र स्व. जनक सिंह, निवासी ग्राम जमालपुर, थाना मतसेना, जनपद फिरोजाबाद, उम्र लगभग 30 वर्ष को महादेवपुर रेलवे लाइन अंडरपास के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त के कब्जें से चार बोरियों में कुल 80 लीटर (800 सीसी की शीशियों में) अवैध कोडिन कफ सिरप बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह ट्रक संख्या UP74T4726 का चालक है। ट्रक में वाराणसी से गुवाहाटी भेजे जा रहे मुर्गी दाने की बोरियों के बीच प्रयागराज में कोडीन युक्त कफ सिरप छिपाकर लोड किया गया था, जिसे पश्चिम बंगाल ले जाना था। ट्रांसपोर्टर द्वारा ट्रक रुकवाए जाने के बाद अभियुक्त एवं उसके साथियों ने ट्रक से कुछ अवैध माल निकालकर अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिया था। जिसे वह आज उसी छिपाए गए माल को लेने आया था, तभी पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.दयाशंकर पुत्र स्व. जनक सिंह निवासी ग्राम जमालपुर, थाना मतसेना, जनपद फिरोजाबाद उम्र- लगभग 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 0458/2026, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट एवं 18A/28/18C/27B औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक, गगन राज सिंह थाना अलीनगर, जनपद चन्दौली

2.उ0नि0 अनिल कुमार सिंह, चौकी प्रभारी आलूमील, थाना अलीनगर

3.उ0नि0 अमित कुमार सिंह, चौकी प्रभारी भूपौली, थाना अलीनगर

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जनपद चन्दौली

प्रेस नोट दिनांक- 29.07.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के अंतर्गत प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप थाना अलीनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 125/2018 धारा 307,506,120बी भादवि में मा0 न्यायालय श्री विकास वर्मा (स्पे0 जज पाक्सो जनपद चन्दौली) द्वारा अभियुक्त 1.अजय यादव पुत्र रामजी यादव निवासी चाँदपुर मडुवाडीह जनपद वाराणसी को 07 वर्ष 11 माह का कारावास की सजा व 6000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

अभियुक्त को सजा दिलाने में मॉनिटरिंग सेल, अभियोजन अधिकारी श्री रमाकान्त उपाध्याय(एस.पी.पी.) एवं थाना अलीनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी सराहनीय रही।